न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 89/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/225

अनवान

1. देउ पत्नि पारसमल गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. छगु पत्नि रतना गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–25.08.2025

1. प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गल्यावड़ी पटवार मण्डल खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2216/876 रकबा 0.04 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है।
2. उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी आये दिन वादीगण की उक्त आराजियात पर नाजायज दंखलदाजी करने लग गयी, जिससे वादीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाक 03–01–2019 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 14.06.2023 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादीया की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो प्रतिवादी संख्या 1 का वादीया की आराजी संख्या 2216/876 रकबा 0.04 है0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है जो वादीगण की खातेदारी की ही पाई गई जिससे वादीगण को कब्जेयाबी की डिक्री बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।
3. अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की बेदखली की डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम गल्यावड़ी में स्थित वादीया की खातेदारी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

आराजी संख्या 2216/876 रकबा 0.04 है0 भूमि से प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

4. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 03.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
5. वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीया के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीया को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
6. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2216/876 दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी, वादीगण की आराजी संख्या 2216/876 रकबा 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने का अधिकारी है। प्रतिवादी को वादीया की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा की आराजी संख्या 1933/561 रकबा 0.04 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाडोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा